5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED CANCELLED

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प

जबलपुर म0प्र0

नि/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2017/3004

राजस्व पुनरीक्षण प्र0क0- /2017

पुनरीक्षणकर्ता : गोविंद पटेल अधिवक्ता पिता एम.एल. पटेल, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी-एम/5, स्नेह नगर, लेबर चौक, श्री मार्बल के सामने, गढ़ा रोड़, जबलपुर तहसील व जिला-जबलपुर (म0प्र0)

(सिंह शब्द नाम के आगे से हटाया गया है क्योकि आवेदक के नाम के आगे सिंह शब्द नहीं है)

राजीव वर्मा प्रस्तुत रीडर 16 JUN 2017 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

उत्तरवादी :

1-श्री मुन्नीलाल पटेल, आयु 98 वर्ष आत्मज स्व0चुन्नीलाल पटेल (कुर्मी)

2- मिठ्ठूलाल, आयु 64 वर्ष, आत्मज श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी)

दोनों निवासी-ग्राम बरोदा, तहसील गोटेगॉव, जिला-नरसिंहपुर (म0प्र0)

3- श्रीमती त्रिवेणी बाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि बालकृष्ण पटेल, निवासी-ग्राम चपौर, तहसील व थाना-पाटन, जिला-जबलपुर (म0प्र0)

4- श्रीमती गायत्री बाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि श्री जे.पी.रख्या, निवासी-कृषि कालोनी-2, क्वाटर नंबर एच. -1, कृषि अनुसंधान केन्द्र, भोपाल रोड़, जिला-सागर (म0प्र0)

5- श्रीमती प्रेमबतीबाई पुत्री श्री मुन्नीलाल पटेल (कुर्मी) पत्नि श्री मनोहर पटैल (कुर्मी) निवासी-ग्राम--बरेली, तहसील व थाना-गोटेगॉव, जिला-नरसिंहपुर (म0प्र0)

अनावेदक क0-3,4,5 निचली अदालत में एकपक्षीय थे।

SURENDRA KUMAR KHARE S K KHARE OATH COMMISSIONER, JBP.

17 JUN 2017

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2017/3004 **जिला** – नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री सुन्दरम श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया तथा उन्हें स्थगन निरंतर करने के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के अंतरिम आदेश दिनांक 29.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा उन्होंने पूर्व में दिए गए स्थगन को निरंतर किया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लबित है और प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना है। यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए स्थगन आदेश से असंतुष्ट हैं तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्थगन निरस्ती के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। दर्शित परिस्थिति में इस निगरानी को इस न्यायालय में चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	